संख्या:- 78/2018/3243/33-3-2018-110/2012

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।

3- समस्त जिलाधिकारी**,** उत्तर प्रदेश ।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक: 20 सितम्बर, 2018**

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छाग्रहियों से सम्बन्धित संशोधित दिशा निर्देश-2018 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन हेतु स्वच्छाग्रही एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो स्वच्छता व्यवहार में तीव्र परिवर्तन लाने हेतु प्रेरक का कार्य करते हैं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या:-S-11011/1/2018-SBM दिनांक 07.08.2018 के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छाग्रहियों के लिये संशोधित दिशा निर्देश-2018 निर्गत किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त स्वच्छाग्रहियों के सम्बन्ध में निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

स्वच्छाग्रहियों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में सम्पन्न की जा रही गतिविधियों के चरण निम्नवत हैं:-

1.स्वच्छाग्रही की भूमिका

(क) नियोजन:- इस चरण के अन्तर्गत स्वच्छाग्रही की भूमिका और दायित्व निम्नवत् है:-

- समुदाय को ट्रिगरिंग के लिये तैयार करना और प्री-ट्रिगरिंग गतिविधियों का सम्पादन।
- स्वच्छता की सामुदायिक पद्धतियों (CAS) का प्रयोग कर आवंटित ग्रामों में सामुदायिक ट्रिगरिंग सत्रों में सहायता करना।
- ग्राम के ओ0डी0एफ0 स्टेट्स का सहभागी मानचित्रण तैयार कराना और सम्बन्धित ग्राम में समस्त परिवारों के स्वच्छता आच्छादन के स्तर को रिकार्ड करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- खुले में शौचमुक्त करने के लिये समयबद्ध ग्राम स्तरीय एक्शन प्लान तैयार करने में ग्राम पंचायतों की सहभागिता और सहयोग करना।
- ट्रिगर्ड ग्रामों में निगरानी समितियों के गठन एवं उनके सुदृढीकरण में सहायता करना।
- शौचालयों के निर्माण की मांग सृजित करना और उनका उपयोग सुनिश्चित कराना तथा व्यक्तिगत साफ़-सफाई के संबंध में जागरूकता में वृद्धि करने हेतु परिवारों का भ्रमण करना।
- ग्राम पंचायत को ओ0डी0एफ0 करने और ओ0डी0एफ0 स्टेट्स के संवाद के लिये सहायक गतिविधियां यथा प्रत्येक माह **"स्वच्छता दिवस"** के आयोजन आदि में सहायता करना।
- कोई अन्य गतिविधि, जो ग्राम को खुले में शौचमुक्त करने के लिये सहयोग करती हो।

(ख) क्रियान्वयन:- इस चरण के अन्तर्गत स्वच्छाग्रही की भूमिका और दायित्व निम्नवत हैं:-

- शौचालय निर्माण में सहयोग
  - ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत को पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित राजमिस्त्रयों की उपलब्धता सुनिश्चित करानें में और उनकी प्रभावी तैनाती में सहयोग करना।
  - समुदाय को अच्छी गुणवत्ता के व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिये गतिशील (Mobilise) करना और सहयोग देना। शौचालय निर्माण की उपयुक्त तकनीकों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराना और आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन (Supply Chain Management) में सहयोग देना।
  - शौचालयों के निर्माण की गुणवत्ता पर निगरानी रखना और राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण में सहयोग देना तथा उनके साथ समन्वय करना।
  - यह सुनिश्चित करना कि दो गड्ढ़ो के शौचालय के निर्माण की तकनीक में राजमिस्त्री पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हों।
  - स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्वास्थ्य केन्द्रों आदि में संस्थागत शौचालयों के निर्माण एवं उनके स्थायी परिचालन तथा रख-रखाव के सम्बन्ध में प्रचार करना।
- दीर्घकालीन व्यवहार परिवर्तन लाने में सहयोग:-
  - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु स्थानीय स्टेकहोल्डर्स, ग्राम पंचायत, ग्राम पेयजल एंव स्वच्छता समितियों आशा बहुओं, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, अध्यापकों आदि से समन्वय करना।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संस्थाओं यथा स्वयं सहायता समूहों, युवा संगठनों (यथा नेहरू युवा केन्द्र संगठन/युवक मंगल दल), महिला संगठनों/महिला समाख्याओं आदि से निरन्तर संवाद रखना।
- ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर गठित निगरानी समितियों के सुदृढीकरण हेतु उनके क्षमता निर्माण के लिये योजनाओं को तैयार करने एवं उनके क्रियान्वयन में सहयोग करना।
- समुदाय को गतिशील करने सम्बन्धी आयोजनों को तथा स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में आयोजनों का संचालन और निगरानी समितियों, समुदाय के सदस्यों एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ सार्वजनिक बैठकों का संचालन।
- प्रभात फेरियों, सांयकालीन निगरानी एवं रात्रि-चौपालों का आयोजन।
- अन्य ग्रामों में दोहराने हेतु "बेस्ट प्रैक्टिसेज" के अभिलेखीकरण में सहायता करना।
- खण्ड स्तरीय एवं जनपद स्तरीय टीम को सपोर्ट करने के लिए आवंटित ग्राम में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अनुश्रवण में सहायता देना।

(ग) निरन्तरता (Sustanibilty):- स्वच्छाग्रहियों द्वारा ओ0डी0एफ0 स्टेटस की निरन्तरता **(Sustanibilty)** के लिये निम्नवत् सहयोग किया जायेगा:-

➢ परिसम्पत्तियों का सुधार और उन्हें प्रयोग योग्य बनाना:-

- निर्मित शौचालयों की जियो-टैगिंग करना।
- ग्राम में अक्रियाशील और त्रुटिपूर्ण निर्मित व्यक्तिगत और संस्थागत शौचालयों के निर्माण/उन्हें प्रयोग योग्य बनाना।
- घरों में स्वच्छता, साफ़-सफाई और स्नान-सुविधाओं के उन्नयन के लिये वित्त-पोषण सम्बन्धी विकल्पों की जानकारी देना, जिससे कि परिवारों द्वारा बेहतर गुणवत्ता की सुविधाएं विकसित की जा सकें।

➢ उन्नत स्वच्छता व्यवहार का सुदृढीकरण:-

- खुले मे शौचमुक्त घोषित ग्रामों का प्रथम सत्यापन, द्वितीय सत्यापन और अनुवर्ती निरन्तर सत्यापन करना।
- ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को समारोहों/ओ0डी0एफ0 स्टेटस के स्मरणोत्सव /गौरव यात्रा-नियमित ओ0डी0एफ0 दिवसों के आयोजन और स्वतंत्रता दिवस /गणतंत्र दिवस के समारोहों के आयोजन में सहयोग देना।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- ग्राम में साफ़-सफाई पर निगरानी समितियों की निरन्तर कार्यशीलता, रात्रि चौपालों और ग्राम की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करना।
- ग्राम में ओ0डी0एफ0 ब्रांडिंग, ग्राम सभाओं द्वारा प्रस्ताव को पारित कराने और आदर्श शौचालयों के निर्माण आदि के माध्यम से ग्राम में ओ0डी0एफ0 पद्धति का संस्थागत करण (Institutionalization) सुनिश्चित करना।
- शौचालयों में प्रयोग हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनें हेतु समुदाय स्तर पर जल संरक्षण की प्रोन्नति करना।
- विभिन्न संस्थानों यथा विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और ग्राम में ओ0डी0एफ0 स्टेट्स की निरन्तरता के बारे में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना।

➢ <u>परिचालन एवं रख-रखाव:-</u>

- शौचालय के गड्ढ़ो से निर्मित कम्पोस्ट (खाद) को परिवार के सदस्यों द्वारा निकालने के सही तरीकों सहित शौचालयों के समुचित परिचालन एवं रखरखाव के सम्बन्ध मे जागरूक करना।
- संस्थागत भवनों यथा विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक शौचालयों और स्वच्छता परिसरों में शौचालयो का परिचालन और रखरखाव।

➢ <u>ओ0डी0एफ0</u>+ :-

- घरो में साबुन से हाथ धोना तथा विद्यालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में मध्याह्न भोजन के पूर्व साबुन से हाथ धोना।
- ठोस, द्रव्य संसाधन प्रबन्धन गतिविधियों यथा कवर्ड ड्रेन्स, सामुदायिक सोख्ता गड्ढों, कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण। इन सृजित सम्पत्तियों का रखरखाव, गोबर धन योजना आदि का प्लान विकसित करना और उनके क्रियान्वयन में सहयोग।
- ग्रामों के जल स्रोतों और सामुदायिक जलाशयों की साफ सफाई में सहयोग।
- मासिक धर्म सम्बन्धी स्वच्छता प्रबन्धन गतिविधियां जिसमें किशोरियों में जागरूकता सृजन और 'सेनिटरी वेस्ट' का सुरक्षित निस्तारण सम्मिलित है।

2.स्वच्छाग्रही की पात्रता एवं चयन

स्वच्छाग्रही एक स्वयंसेवक है, जिसमें स्थानीय आशा, ए0एन0एम0, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, सींचपाल, नलकूप चालक, सिविल सोसाइटी संगठनो के सदस्य, युवा संगठनों अथवा सामान्य ग्राम वासियों सहित किसी भी पृष्ठभूमि से हो सकते हैं। स्वच्छाग्रही की प्रास्थिति एक स्वयं सेवक की है, और यह स्थायी प्रकृति की नहीं है। यह स्थिति ग्राम पंचायत में इनकी चयन प्रक्रिया के समय भली भाँति स्पष्ट कर दी जाय। स्वच्छाग्रहियों

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

को उनके योगदान के लिये उन्हें उपयुक्त प्रोत्साहन का भुगतान किया जायेगा। स्वच्छाग्रही की सामान्य अर्हता निम्नवत् होगी:-

- सम्बन्धित ग्राम पंचायत अथवा समीपवर्ती ग्राम पंचायत का निवासी हो।
- उसके पास शौचालय की सुविधा हो और वह खुले में षौच न जाता हो।
- स्थानीय भाषा में संप्रेशण का अच्छा कौशल हो।

प्रत्येक ग्राम में कम से कम एक स्वच्छाग्रही होना चाहिए। विशेषत: महिला अभ्यर्थी होनी चाहिए। इस प्रकार कोई भी सरकारी/अर्द्धसरकारी कर्मी यथा ग्राम रोजगार सेवक, सफाईकर्मी, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, पंचायत सचिव आदि को उनकी कार्य-कुशलता के आधार पर तथा गैर-सरकारी इच्छुक व्यक्ति यथा नेहरू युवा केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजन एवं नागरिक सुरक्षा आदि के युवाओं/महिलाओं, जो स्वेच्छा से स्वच्छता जैसे सामाजिक कार्यो में रूचि लेकर कार्य करने को तत्पर हों और जो आम समुदाय के समक्ष बोलने, समझने व संवाद एवं सम्पर्क स्थापित करने की दक्षता रखते हों, से स्वच्छाग्रही का कार्य लिया जा सकता है।

3.स्वच्छाग्रहियों का क्षमता संवर्द्धन

स्वच्छाग्रहियों को समुदाय को गतिशील करनें और ट्रिगरिंग-कौशल में स्वच्छता की सामुदायिक पद्धतियों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाये। इस प्रयोजन हेतु राज्य स्वच्छता मिशन और जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंट कमेटी द्वारा की-रिर्सोस सेन्टर्स, जो स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट पर 'की-रिसोर्स सेन्टर्स' की लिस्ट में इम्पैनल्ड हैं, की सेवाऐं अथवा प्रशिक्षित शासकीय प्रशिक्षकों की सेवाएं ली जायेगी। स्वच्छाग्रहियों को निम्नवत् सामग्री के साथ एक टूलकिट उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है:-

- सामुदायिक गतिशीलता के लिये संदर्भ सामग्री।
- सुरक्षित शौचालय की तकनीक के संबंध में संदर्भ सामग्री।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की ब्राण्डिंग-युक्त पुरूषों के लिये एक टी-शर्ट और महिलाओं के लिए एक एप्रन।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की ब्राण्डिंग-युक्त एक कैप।
- एक टार्च और एक सीटी।

स्वच्छाग्रहियों के ग्राम को खुले में शौचमुक्त घोशित होने के बाद ओ0डी0एफ0+ के संबंध में उनकी भूमिका और दायित्वों के बारे मे निम्नवत् विषय पर उनका पुन: उन्मुखीकरण किया जायेगा:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- ओ0डी0एफ0+ के आवेग/गतिशीलता को स्थायित्व प्रदान करना।
- ओ0डी0एफ0 की निरन्तरता और ओ0डी0एफ0+ के लिये अन्तवैयक्तिक सम्प्रेषण/ आई0ई0सी0 गतिविधियां।
- ओ0डी0एफ0 की निरन्तरता के लिये समुदायों और निगरानी समितियों की तैनाती और उन्हें गतिशील बनाना।
- अक्रियाशील और त्रुटिपूर्ण-निर्मित शौचालयों को ठीक कराकर उन्हें क्रियाशील करना।
- समुदायों में ठोस, द्रव्य संसाधन प्रबन्धन, क्षमता संवर्द्धन संबंधी के विकास, उनके प्रदर्शन और उनके क्रियान्वयन के संबंध में मूलभूत कौशल।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मल प्रबन्धन के सिद्धान्त और तकनीक।
- 'मासिक धर्म सम्बन्धी स्वच्छता प्रबन्धन' की मूल अवधारणा और सम्बन्धित गतिविधियाँ।

4.स्वच्छाग्रहियों की तैनाती

(क) स्वच्छाग्रहियों की तैनाती के पूर्व प्रबन्धन:-

- सुपरिभाषित भूमिका एवं दायित्व।
- प्रोत्साहन का उपयुक्त प्रावधान।
- प्रोत्साहन का ससमय भुगतान।
- स्वच्छाग्रहियों द्वारा रिपोर्टिंग और उनके अनुश्रवण के संबंध में स्पष्ट ढांचा।
- मासिक निष्पादन के अनुश्रवण की व्यवस्था।
- प्रशिक्षण सहित क्षमता वृद्धि सहयोग एवं निष्पादन अनुश्रवण की व्यवस्था।
- अन्तर्वैयक्तिक संवाद की गतिविधियों के सम्पादन हेतु मूलभूत संचार तन्त्र सहयोग की व्यवस्था।

(ख) तैनाती

स्वच्छाग्रही की तैनाती ग्राम पंचायत की संस्तुति पर जिला पेयजल स्वच्छता समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें पुरूषों एवं महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व होगा।

5.स्वच्छाग्रहियों को प्रोत्साहन

(क)-ओ0डी0एफ0 के पूर्व प्रोत्साहन व्यवस्था :- कार्यक्रम के दिशा-निर्देश के अनुसार स्वच्छाग्रहियों को उनके द्वारा ट्रिगर्ड प्रत्येक परिवार के लिये निर्मित शौचालय और उसके निरन्तर प्रयोग पर रू0 150 तक का भुगतान प्राप्त हो सकता है। इसका भुगतान कार्यक्रम के अन्तर्गत एक विशिष्ट उपलब्धि का स्तर प्राप्त हो जाने पर आई0ई0सी0 मद से एकमुश्त अथवा चरणों में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य/जनपद द्वारा लिये गये निर्णय

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के अनुसार खुले में शौचमुक्त घोषित प्रत्येक ग्राम/ग्राम पंचायत के लिये भी स्वच्छाग्रही को पुरस्कार की धनराशि प्राप्त हो सकती है।

(ख)-ओ0डी0एफ0 के उपरान्त प्रोत्साहन व्यवस्था:- ग्राम के ओ0डी0एफ0 स्टेट्स की निरन्तरता के लिये स्वच्छाग्रहियों द्वारा निम्न गतिविधियों का सम्पादन किया जायेगा, जिनकी उपलब्धि की पुष्टि हो जाने के उपरान्त आई0ई0सी0 बजट से उन्हें प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा:

क्र0 सं0	गतिविधियां	प्रोत्साहन का अनुमन्य भुगतान
1	ग्राम में प्रत्येक शौचालय की जियोटैगिंग	प्रति शौचालय रू0 5 तक
2	खुले में शौचमुक्त की घोषणा के 03 माह के अन्दर ग्राम के प्रत्येक परिवार के प्रथम सत्यापन के साथ ओ0डी0एफ0 स्टेट्स के स्थायित्व के लिये समुदाय की जागरूकता और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये अन्तर्वैयक्तिक सम्प्रेषण/आई0ई0सी0 गतिविधि का सम्पादन।	प्रति परिवार रू0 10 तक (सत्यापन और अन्तर्वैयक्तिक सम्प्रेषण)
3	खुले में शौचमुक्त की घोषणा के 09 माह के अन्दर ग्राम के प्रत्येक परिवार के द्वितीय सत्यापन/अनुवर्ती निरन्तर सत्यापन के साथ ओ0डी0एफ0 की निरन्तरता के लिये समुदाय की जागरूकता और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये अन्तर्वैयक्तिक सम्प्रेषण/आई0ई0सी0 गतिविधि का सम्पादन।	प्रति परिवार रू0 15 तक (सत्यापन और अन्तर्वैयक्तिक सम्प्रेषण)
4	अक्रियाशील व्यक्तिगत शौचालयों को क्रियाशील शौचालय में परिवर्तन सुनिश्चित करना: • क्षतिग्रस्त पैन की मरम्मत। • अवरूद्ध पाईप की मरम्मत • अवरूद्ध नालियों की मरम्मत • क्षतिग्रस्त दरवाजों/दीवारों/छत आदि की मरम्मत	प्रति शौचालय रू0 25
5	पूर्व निर्मित शौचालयों में सुरक्षित तकनीक के अनुरूप इन्हें प्रयोग योग्य बनाया जाना: • पूर्व निर्मित एक गड्ढे के साथ दूसरे गड्ढे का	प्रति शौचालय रू0 25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	निर्माण • सेप्टिक टैंक के साथ सोख्ता गड्ढे का निर्माण • डायरेक्ट-पिट शौचालयों में पृथक गड्ढ़ों का निर्माण	
6	ग्राम में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की गतिविधियों का सम्पादन सुनिश्चित करना और सृजित परिसम्पत्तियों के परिचालन और रखरखाव के सम्बन्ध में जनजागरूकता उत्पन करना: • पक्की और कवर्ड नालियों का निर्माण (एक बार) • सामुदायिक सोख्ता गड्ढो का निर्माण(एक बार) • सामुदायिक कम्पोस्ट गड्ढो का निर्माण (एक बार) • सामुदायिक बायोगैस संयंत्रो का निर्माण।	प्रति ग्राम रू0 200 (ग्राम में 50-100 परिवारों की संख्या मानते हुए।)
7	ग्राम में दृष्टिगोचर साफ-सफाई सम्बन्धी गतिविधियां सुनिश्चित करना: • नालियों का रखरखाव (मासिक) • बायो गैस संयंत्रो का रखरखाव (मासिक) • तालाबो, नालियों, गलियों, स्थानीय हाटों आदि की साफ-सफाई (पाक्षिक)। • निगरानी समिति के अन्य सदस्यो के साथ प्रात: और सायं काल में निगरानी। • स्वच्छता/ओ0डी0एफ0 की निरन्तरता विषय पर रात्रि चौपालों/ग्राम की बैठकों का आयोजन।	प्रति ग्राम रू0 200 प्रति गतिविधि (ग्राम में 50-100 परिवारों की संख्या मानते हुए)
8	ओ0डी0एफ0 की निरन्तरता की गतिविधियों में सहायता देना: • संस्थागत भवनों में शौचालयों की मरम्मत और साफ सफाई सुनिश्चित करना। यथा - विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक शौचालयों एवं स्वच्छता परिसरों, आंगनबाड़ी केन्द्रों (मासिक आधार पर) • ग्राम के ओ0डी0एफ0 स्टेटस के स्मरणोंत्सव के लिए (ओ0डी0एफ0 दिवस/स्वच्छता दिवस) और	प्रति ग्राम रू0 200 प्रति गतिविधि (ग्राम में 50-100 परिवारों की संख्या मानते हुए)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	राष्ट्रीय महत्व के दिवसों यथा स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस का मनाया जाना। • ग्राम पंचायत स्तर पर आदर्श शौचालय का निर्माण (एक बार) और रखरखाव (मासिक)। • ओ0डी0एफ0 ब्राण्डिंग हेतु ग्राम के ओ0डी0एफ0 स्टेटस को घोषित करने वाले दीवाल लेखन, डिस्प्ले बोर्ड/ डिस्प्ले पट्टियां (फ्लेक्स)। • निम्न विषयों पर ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावों को पारित किया जाना : o ग्राम को खुले में शौचमुक्त की घोशणा। o ग्राम में ओ0डी0एफ0 का सत्यापन। o पोस्ट ओ0डी0एफ0 घोषणा, किसी नए परिवार द्वारा अनिवार्य रूप से अपने स्वयं के संसाधनो से शौचालय का निर्माण	
9	किसी नए परिवार द्वारा अपने स्वयं के संसाधनो से शौचालय के निर्माण मे सहयोग देना-ग्राम की पोस्ट-ओ0डी0एफ0 घोषणा	प्रति शौचालय रू0 25

उक्त प्रोत्साहन उन्ही स्वच्छाग्रहियों (गैर सरकारी कर्मियों) को दी जायेगी, जिनमें उपरोक्त गतिविधियों के सम्पादन के लिये प्रदर्शित कौशल और अपेक्षित क्षमता (स्वच्छता की सामुदायिक पद्धतियों (CAS) पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण और भारत सरकार द्वारा संस्तुत अन्य अनिवार्य प्रशिक्षण का सफल समापन) हो, जिसका प्रमाणीकरण जनपद स्तर पर किया जायेगा।

(ग)-गैर वित्तीय प्रोत्साहन व्यवस्था:- इनमें विभिन्न स्तरों पर सरकार द्वारा सम्मान सम्मिलित है। उन्हें (स्वच्छाग्रहियों) विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों द्वारा सम्मानित (सरकार द्वारा सम्मान/पुरस्कार आदि) किया जाता है। विभिन्न राज्यों एवं जनपदों में सृजनात्मक पुरस्कार यथा स्वच्छाग्रहियों/ चैम्पियन्स का जिलाधिकारी के साथ लंच और डिनर भी प्रारम्भ किया गया है। कुछ राज्यों द्वारा सार्वजनिक परिवहन/ट्रेन में यात्रा हेतु पासेज/ डिस्काउंट, बीमा (स्वास्थ्य तथा/अथवा जीवन बीमा), अटल पेंशन योजना आदि प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. स्वच्छाग्रही प्रबन्धन हेतु सुझावात्मक गतिविधियां

- स्वच्छाग्रहियों के पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया प्रत्येक स्वच्छाग्रही को पहचान देगी।
- स्वच्छाग्रही/चैम्पियन की उनकी फोटो सहित उनकी सफलता की कहानी का शासकीय प्रकाशनों, प्रिन्ट, इलेक्ट्रानिक ओर सोशल मीडिया में प्रकाशन।
- स्वच्छाग्रहियों को प्रेरित रखने के लिये आई0सी0टी0 आधारित प्रशिक्षण टूल्स का प्रयोग।
- स्वच्छाग्रहियों का संवाद कौशल तथा शौचालय निर्माण की तकनीक आदि में प्रशिक्षण (आई0टी0 आई0/इग्नू/एन0एस0डी0सी0)
- स्वच्छाग्रहियों का 'कैरियर प्रोग्रेशन चार्ट' यथा मास्टर ट्रेनर के रूप में तैनाती और अथवा विकास खण्ड स्तरीय तैनाती की रूपरेखा तैयार करना।

7. स्वच्छाग्रहियों की उपलब्धता का अनुश्रवण

प्रत्येक स्वच्छाग्रही का स्टेट्स, उसकी गतिविधि स्टेट्स, उसका निष्पादन (परफारमेन्स), उसके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण और उसे प्राप्त प्रोत्साहन का विवरण रखने हेतु SBM(G)-MIS में एक स्वच्छाग्रही अनुश्रवण डाटाबेस और डैश-बोर्ड (ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जनपद स्तर पर समेकित) है। जनपदों द्वारा इसका उपयोग कर इसको अद्यावधिक किया जाये।

प्रशिक्षित सेवायोजित स्वच्छाग्रहियों का एक रोस्टर जनपदों द्वारा बनाया जाए। किसी निष्क्रिय स्वच्छाग्रही को रिपोर्टिंग के एक माह के अन्दर बदल दिया जाए। स्वच्छाग्रही द्वारा कार्य छोड़ने और उनके नये चयन का प्रत्येक प्रकरण MIS पर समुचित रूप से प्रदर्शित किया जाए।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या:-195/33-3-2015-110/2012 दिनांक 06 फरवरी, 2015, शासनादेश संख्या 1911/ 33-3-2015-110/2012 दिनांक 13 जुलाई, 2016 एवं शासनादेश संख्या:-94/2017/2327 /33-3-2017-110/2012 दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या व दिनांक:- तदैव।</u>

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।

4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

5- समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उत्तर प्रदेश ।

6- समस्त जिला पंचायत राज अधिकरी, उत्तर प्रदेश ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रवीण कुमार लक्षकार)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।